राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 12 (164) आयो/आकाशि/2018/1374

दिनांक 10 अक्टूबर, 2019

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः—नवीन राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं महाविद्यालयों में भवन विस्तार संबंधित कार्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) द्वारा करवाये जाने के संबंध में।

संदर्भ :—आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव, सी.एस.आर के पत्र दिनांक 03.09.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नवीन राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं महाविद्यालयों में भवन विस्तार इत्यादि संबंधित कार्यों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालयों में एक सोसाइटी (महाविद्यालय विकास समिति) का गठन कर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 12AA/12AA में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर आयकर अधिनियम 1958 की धारा 80G के तहत छूट प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण एवं भवन विस्तार इत्यादि कार्यो के लिए स्थानीय स्तर जिला प्रशासन से सी.एस.आर मद से राशि स्वीकृत करवाने की कार्यवाही करावें।

(बी.एल.गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राज.,जयपुर

प्रतिलिपि :—

1—समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
2—प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राज.,जयपुर